तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर जो तामील
	बिरधीलाल पुत्र स्व. मोतीलाल, जाति गुर्जर निवासी रातडिया, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0) वाहन संख्या **आर.जे.28 सी.ए. 2231** का रजि0 स्वामी है तथा प्रकरण में तफ्तीश हो चुकी है। वाहन थाने पर खडा है। जिसके खराब होने का अंदेशा है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जप्तशुदा वाहन वैगन आर को वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में 2 लाख के जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना करते हुए दिया जाता है। 1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा। 2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युवल करवायेगा। 3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नही करेगा। 4. जब भी न्यायालय तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। पत्रावली आदेश की पालना हेतु दिनांक 25.07.2023 को पेश हो।	
25/7/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। मुल्तवि दि. 26/7/23 को पेश हो।	
26/7/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी, प्रार्थी विरधीलाल, व जमानती हेमराज उपस्थित। आदेश दिनांक 25.07.2023 की पालना में प्रस्तुत सुपुर्दगी नामा व जमानत नामा तस्दीक किये जाकर शा0फा0 किये गये। थानाधिकारी कोतवाली, बारां को लिखा जावे कि यदि वाहन **आर.जे.28 सी.ए. 2231** अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी बिरधीलाल को सुपुर्द कर रसीद एवं वाहन के सामने से व बगल से चारो ओर के रंगीन [illegible] में पेश करे। केस डायरी थानाधिकारी कोतवाली, बारां को लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] अभिलेख मे प्रविष्ट हो। तामील रिपोर्ट थानाधिकारी कोतवाली बारां भेजा गया।	लिपिकीय प्रकरण हेतु। केस डायरी प्राप्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:05:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)